

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : प. 2(1)नविवि/11/2009/पार्ट लूज

जयपुर, दिनांक :

31 AUG 2023

:: आज्ञा ::

राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.08.2023 में समिति की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान नगर नियोजन सेवा (राज्य सेवा) के निम्नांकित उप नगर नियोजकों को वरिष्ठ नगर नियोजक (पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या L-19) के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	संवर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति तिथि	चयन की प्रकृति
1.	श्री अरविन्द सिंह कानावत	UR	2023-24	01.04.2023	वरिष्ठता-सह-योग्यता
2.	श्री पुनीत शर्मा	UR	2023-24	01.04.2023	वरिष्ठता-सह-योग्यता
3.	श्री भूपेन्द्र कुमार	UR	2023-24	01.04.2023	वरिष्ठता-सह-योग्यता
4.	श्री अंकुर दाधीच	UR	2023-24	01.04.2023	वरिष्ठता-सह-योग्यता
5.	श्री अनुपम शर्मा	UR	2023-24	01.04.2023	वरिष्ठता-सह-योग्यता
6.	श्री नितिन नेहरा	UR	2023-24	01.04.2023	वरिष्ठता-सह-योग्यता
7.	श्री नरहरी सिंह पंवार	UR	2023-24	01.04.2023	वरिष्ठता-सह-योग्यता
8.	श्री राकेश मातवा	UR	2023-24	10.08.2023	वरिष्ठता-सह-योग्यता
9.	श्रीमती अनुजा सिंह	UR	2023-24	10.08.2023	वरिष्ठता-सह-योग्यता
10.	श्री रूदन सिंह मीना	ST	2023-24	01.04.2023	वरिष्ठता-सह-योग्यता
11.	श्री सुनिल चौहान	SC	2023-24	01.04.2023	वरिष्ठता-सह-योग्यता
12.	श्री पोदार प्रकाश शार्दूल	SC	2023-24	01.04.2023	वरिष्ठता-सह-योग्यता

उक्त पदोन्नतियां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10632/2023 श्री किशन लाल खाण्डा बनाम राज्य सरकार में अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्ययन रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(जुगल किशोर मीणा)

शासन संयुक्त सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नविवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर
7. संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

शासन संयुक्त सचिव-द्वितीय